

14 सीटर लो-फ्लोर शटल्स (गोल्फ कौर्ट) नयी क्रय करने हेतु विशिष्टियों का निर्धारण

S.No.	Specification	
01	Seating Capacity	13+1
02	Motor	7.5 Kw (7500 watt) AC Motor
03	Controller	72V
04	Charger	Intelligent Pulse Charger
05	Brake	Rear Drum Brake/Front Drum Brake
06	Suspension	Hydraulic
07	Tyre Size	155/80D 12
08	Wheel	Steel Wheel
09	Battery	6V 225 AH x 12
10	Truning Radius	6800 mm
11	Stearing	Right Hand, Rack & Pinion
12	Speed	11 Km/Hr.

लो-फ्लोर शटल्स (गोल्फ कॉर्ट) सप्लाई से सम्बन्धित शर्तें:-

01. ऑफरदाता/निर्माता कम्पनी को ए0आर0ए0आई0, पुणे में केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
02. ऑफरदाता/निर्माता कम्पनी को जी0एस0टी0 पंजीकरण एवं पैन की छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
03. परिवहन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में लो-फ्लोर शटल्स (गोल्फ कॉर्ट) निर्माता कम्पनी का पंजीकरण होना अनिवार्य होगा एवं इस आशय का अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
04. आपूर्ति की जाने वाली लो-फ्लोर शटल्स (गोल्फ कॉर्ट) का सम्भागीय परिवहन कार्यालय, आगरा में सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण के पक्ष में पंजीकरण कराने का दायित्व ऑफरदाता का होगा, तत्पश्चात् आपूर्ति प्राप्त की जायेगी।
05. ऑफरदाता को लो-फ्लोर शटल्स (गोल्फ कॉर्ट) की दरें समस्त करें, विशिष्टियों सहित एवं आगरा, उ0प्र0 पहुँच सहित देनी होंगी।
06. ऑफरदाता को ऑफर देते समय विभाग के समक्ष लो-फ्लोर शटल्स (गोल्फ कॉर्ट) का प्रजेन्टेशन करना होगा, जिसके लिए किसी प्रकार की धनराशि नहीं दी जायेगी।
07. ऑफरदाता नयी आपूर्ति की जाने वाली गोल्फ कॉर्ट की, आपूर्ति तिथि से एक वर्ष की अवधि तक गोल्फ कॉर्ट का अनुरक्षण/सर्विसिंग आदि का कार्य आगरा, उ0प्र0 में ही निःशुल्क करेगा।
08. नयी गोल्फ कॉर्ट के आपूर्ति के एक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी **Major Parts** के खराब होने की स्थिति में उन **Major Parts** की मरम्मत अथवा **Replacement** फर्म द्वारा करना होगा, जिसका कोई भी पृथक से भुगतान नहीं किया जायेगा।
09. आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा लो-फ्लोर शटल्स (गोल्फ कॉर्ट) का ऑफर स्वीकृत उपरान्त अनुबन्ध कराना होगा तथा कुल ऑफर मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि की राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारण्टी जमा करानी होगी, जो कि आपूर्ति की तिथि से 12 माह पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।
10. प्राप्त ऑफरों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण को होगा, जिसके लिए कोई चुनौती मान्य नहीं होगी।
11. किसी भी प्रकार के विवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र आगरा होगा।
12. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम एवं ऑफरदाताओं को मान्य होगा।

पर्यवेक्षक पथकर

सहायक अभियन्ता (पथकर)